पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 11, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–27

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	343–357	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	545–546	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	15–20	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	177–182	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–2

अधिसूचना/प्रकीर्ण

13 जून, 2016 ई0

संख्या 232/XV–2/07(34)/2006–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2003) की धारा 122 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों, विनियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ सेवा संवर्ग नियंत्रण नियमावली, 2016

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ सेवा संवर्ग नियंत्रण नियमावली, 2016 है।

(2) यह उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अधीन निबन्धित उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन तथा समस्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों पर लागू होगी।

(3) यह नियमावली गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं–

जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकारी" इस नियमावली के नियम–4 के अनुसार गठित संवर्ग प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "फेडरेशन" से उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी, जिला नैनीताल अभिप्रेत है;

(घ) "संघ" से अधिनियम के अधीन निबन्धित केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के श्री राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(छ) "प्रबन्धकीय पद" से षष्टम् वेतनमान में ₹ 15,600–39,100 व ग्रेड वेतन ₹ 5,400 और इससे अधिक के वेतनमान वाले पद या पंचम वेतनमान के अनुसार ₹ 8,000–13,500 या इससे अधिक के वेतनमान वाले पद अभिप्रेत हैं;

(ज) "गैर प्रबन्धकीय पद" से षष्टम् वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतनमान में ₹ 15,600–39,100 व ग्रेड वेतन ₹ 5,400 से कम या पंचम वेतनमान के अनुसार ₹ 8,000–13,500 से कम के वेतनमान वाले पद अभिप्रेत हैं;

(झ) "सदस्य" से इस नियमावली और इसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार जैसा समय–समय पर प्रवृत्त हो, सेवा में पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "निबन्धक" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उत्तराखण्ड में समस्त सहकारी दुग्ध समितियों के सम्बन्ध में निबन्धक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) "प्रबन्ध निदेशक" से उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी, नैनीताल के प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत हैं;

(ठ) "प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक" से दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत हैं;

(ड) "विनियम" से इस नियमावली के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;

(ढ) "सेवा" से इस नियमावली के नियम–3 के अधीन सृजित उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की सेवा अभिप्रेत है;

(ण) "संघ" से अधिनियम के अधीन निबन्धित केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति अभिप्रेत है।

3. सेवा संवर्ग का गठन–

(1) उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ सेवा संवर्ग के अन्तर्गत, फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य सामान्य प्रबन्धक के पद को छोड़कर, समस्त दुग्ध संघों एवं फेडरेशन के समस्त पद, जो इस नियमावली के नियम सं0 2(च) व 2(छ) के अधीन, जैसा कि परिभाषित किया गया है, सम्मिलित होंगे।

(2) फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य सामान्य प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(3) सेवा के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किन्हीं पदों पर नियुक्तियां, इस नियमावली के लागू होने के दिनांक से, इस नियमावली के अधीन निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत की जायेगी;

परन्तु फेडरेशन या संघ के किसी संवर्गीय पद पर सरकार के किन्हीं अधिकारियों को प्रति नियुक्ति पर रखा जा सकता है और उसकी सेवा शर्तें वही होंगी जो उनके मूल सरकारी विभाग में अनुमन्य थी तथा उन्हें नियमानुसार प्रति नियुक्ति भत्ता देय होगा।

4. संवर्ग प्राधिकारी का गठन–

संवर्ग प्राधिकारी का गठन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

(1) निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड — सभापति,

(2) उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन के सभापति — उप सभापति,

(3) प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामित अपर सचिव से अनिम्न स्तर के शासन के अधिकारी — सदस्य,

(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन — सदस्य,

(5) निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित संयुक्त निदेशक, डेरी — सदस्य,

(6) निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नाम–निर्दिष्ट दुग्ध संघों के दो सभापति — सदस्य,

(7) निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन/दुग्ध संघों के केन्द्रीयत सेवा संवर्ग के प्रधान प्रबंधक/अपर प्रबंध निदेशक — सदस्य,

(8) फेडरेशन का कार्मिक/प्रशासन प्रभाग का प्रभारी अधिकारी — सदस्य–सचिव।

5. गणपूर्ति–

संवर्ग प्राधिकारी की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों से होगी और यथास्थिति, प्राधिकारी का निश्चिय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। मतों की संख्या समान होने की स्थिति में, सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

6. प्राधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य–

(1) प्राधिकारी संवर्ग सदस्यों की भर्ती, प्रशिक्षण, परिलब्धियाँ, अनुशासनिक नियंत्रण और सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बना सकेगी। ऐसे विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

(2) प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए समय–समय पर वेतन का अवधारण और उपान्तरण करेगा।

(3) सेवा से सम्बन्धित विषयों पर सरकार और निबन्धक को परामर्श देगा।

(4) संवर्ग के सदस्यों की सेवाओं से सम्बन्धित ऐसे नीतिगत विषयों का विनिश्चय करेगा।

(5) राज्य सरकार के अनुमोदन से सेवा की संख्या का अवधारण और उपान्तरण करेगी।

(6) इस नियमावली एवं इसके अधीन बने विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगी, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें।

7. प्राधिकारी के सदस्य–सचिव की शक्तियाँ एवं कर्तव्य–

प्राधिकारी का सदस्य–सचिव–

(1) प्राधिकारी की बैठक बुलायेगा तथा कार्यवाही अभिलिखित करेगा।

(2) प्राधिकारी की ओर से पत्र–व्यवहार करेगा।

(3) ऐसी अन्य शक्तियों एवं अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो समय–समय पर प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाए।

8. सेवा की सदस्य संख्या–

"सेवा की सदस्य" संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी संवर्ग प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय–समय पर अवधारित की जाय;

परन्तु प्राधिकारी किसी रिक्ति को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या उसे स्थगित रख सकता है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

9. नियुक्ति प्राधिकारी–

(1) फेडरेशन में सेवा के प्रबन्धकीय एवं गैर प्रबन्धकीय सदस्यों के नियुक्ति प्राधिकारी प्रबन्ध निदेशक होंगे।

(2) दुग्ध संघों में नियुक्त सेवा के गैर प्रबन्धकीय सदस्यों के नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक होंगे।

10. नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियाँ व कर्तव्य–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक, अनुशासनात्मक पूर्ण नियंत्रण रखेगा और उनका पर्यवेक्षण करेगा।

(2) सेवा के सदस्यों का फेडरेशन से दुग्ध संघों तथा दुग्ध संघों से दुग्ध संघों अथवा फेडरेशन में समय–समय पर स्थानान्तरण करेगा;

परन्तु सेवा में सम्मिलित प्रबन्धकीय पदों का स्थानान्तरण प्रदेश के किसी भी जनपद में किया जा सकेगा परन्तु गैर प्रबन्धकीय पदों की सेवाएँ अस्थानान्तरणीय होंगी।

(3) सेवा से सम्बन्धित समस्त नीति विषयक मामलों का, जिसके अन्तर्गत महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यातायात भत्ता तथा अन्य भत्तें भी हैं, प्राधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनिश्चय करेगा।

(4) इस नियमावली एवं इसके अधीन बने विनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगा, जो समय–समय पर राज्य सरकार या निबन्धक या प्राधिकारी द्वारा सौंपे जांए।

11. प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थी हेतु नियुक्ति अधिकारी–

सेवा के सदस्यों और प्रबन्ध प्रशिक्षार्थियों (मैनेजमेंट ट्रेनीज) और कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव) के नियुक्ति प्राधिकारी और उन पर अनुशासनिक नियंत्रण रखने वाले प्राधिकारी वही होंगे, जिन्हें विनियमों में निर्धारित किया जाए।

12. सेवा के सदस्यों का कर्तव्य–

फेडरेशन या दुग्ध संघ में नियुक्त सेवा के सदस्य, सम्बन्धित संस्था के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे और अधिनियमों, नियमों, विनियमों, उपविधियों के उपबन्धों और ऐसी संस्था के मुख्य कार्यपालक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन करेंगे।

13. अर्हताएँ–

सेवा के प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए अर्हताएँ वही होंगी, जो प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से नियत की जांय।

14. सदस्यों का प्रशिक्षण–

सेवा में सदस्यों को, सेवा की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा। सदस्य ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जैसा समय–समय पर अपेक्षित हो।

15. वेतनमान एवं भत्ते–

सेवा में सम्मिलित विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए वेतनमान एवं भत्ते वही होंगे, जो प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय–समय पर नियत किए जांय।

16. वेतन व भत्तों का भुगतान–

(1) सेवा के सदस्यों के वेतन का, जिसके अन्तर्गत समस्त भत्ते भी हैं, भुगतान फेडरेशन या सम्बन्धित दुग्ध संघ द्वारा निश्चित किया जायेगा, जहाँ सदस्य नियुक्त हैं या कार्य कर रहे हैं।

(2) स्थानान्तरण या यात्रा भत्ता और कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के लिये वेतन का भुगतान फेडरेशन या सम्बन्धित दुग्ध संघ द्वारा किया जायेगा, जिसमें सदस्य स्थानान्तरण के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करें।

(3) प्रशिक्षण अवधि के लिए सेवा के सदस्यों के प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता, वेतन और अन्य भत्तों के व्यय का वहन फेडरेशन या सम्बन्धित दुग्ध संघ, जैसा प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाय; द्वारा किया जायेगा।

(4) फेडरेशन, जहाँ कहीं आवश्यक हो, सेवा के ऐसे सदस्यों के सम्बन्ध में, जिन्हें दुग्ध संघों के लिए पृथकरक्षित की गयी हो या उपलब्ध करायी गयी हो, प्रशिक्षण की अवधि के लिए प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता, वेतन और अन्य भत्तों के व्यय का भुगतान कर सकता है और ऐसी धनराशि प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, संबंधित दुग्ध संघों से वसूल की जा सकेगी।

(5) सेवा के सदस्यों की भर्ती के व्यय का वहन फेडरेशन द्वारा किया जायेगा:

परन्तु फेडरेशन, प्राधिकारी के विनिश्चय के अधीन रहते हुए, दुग्ध संघों से भर्ती का आनुपातिक व्यय वसूल कर सकता हैं।

(6) उपनियम (4) के अधीन फेडरेशन और या दुग्ध संघों के बीच प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता, वेतन और अन्य भत्तों के व्यय के और उपनियम (5) के अधीन भर्ती के व्यय के आवंटन के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, मामला निबन्धक को निर्दिष्ट किया जा सकता है; जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

17. प्राधिकारी के नैतिक कार्य–

प्राधिकारी के लिपिकीय कार्यों का सम्पादन फेडरेशन द्वारा किया जायेगा, जो प्राधिकारी के निर्देशों और/या विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा और सेवा से सम्बन्धित दिन–प्रतिदिन के कार्यों को करेगा। इस पर होने वाले समस्त व्यय का वहन फेडरेशन द्वारा किया जायेगा।

18. विवाद–

यदि इस नियमावली के निर्वचन या उनके लागू होने के संबंध में, किसी समय कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

19. व्यावृत्ति–

(1) जब तक नियम–6 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनियम नहीं बनाये जाते तब तक उसमें निर्दिष्ट सभी या कोई मामला जिसके लिए इस नियमावली में कोई अन्य विशिष्ट उपबन्ध नहीं हैं, ऐसे आदेशों या निर्देशों द्वारा नियंत्रित होगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाय।

(2) कोई विषय जो इस नियमावली के अन्तर्गत न आता हो, ऐसे निर्देशों द्वारा नियंत्रित होगा, जो सरकार के अनुमोदन से प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायें।

आज्ञा से,

डॉ० रणबीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India," the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 232/XV-2/07(34)/2006,** dated June 13, 2016 for general information :

NOTIFICATION

June 13, 2016

No. 232/XV-2/07(34)/2006--In exercise of the powers conferred by section 122 of the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003 (Uttaranchal Act no. 05 of 2003) and in supersession of all existing rules, regulations and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules :--

UTTARAKHAND CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION AND MILK UNIONS CENTRALISED CADRE SERVICE CONTROLLING RULES, 2016

1. Short title, extent and commencement :

(1) These rules may be called the Uttarakhand Co-operative Dairy Federation and Milk Unions Centralised Cadre Service Controlling Rules, 2016.

(2) They shall apply to the Uttarakhand Dairy Co-operative Dairy Federation Ltd., Haldwani (Nainital) and all Co-operative Milk Unions, registered under the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003.

(3) These rules shall come into force with effect from the date of their Publication in the Gazette.

2. Definitions :

In these rules, unless the context otherwise requires--

(a) "Act" means the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003;

(b) "Authority" means the Cadre Authority as constituted in accordance with rule 4 of these rules;

(c) "Federation" means Uttarakhand Co-operative Dairy Federation Ltd. Haldwani, District Nainital;

(d) "Union" means central milk Co-operative society registered under the Act;

(e) "Government" means the Government of Uttarakhand;

(f) "Governor" means the Governor of Uttarakhand State;

(g) "Managerial Post" means a post carrying the pay scale of ₹ 15,600-39,100, grade pay ₹ 5,400 and above under Sixth Pay Commission or pay scale of ₹ 8,000-13,500 and above under Fifth Pay Commission ;

(h) "Non Managerial Post" means a post carrying the pay scale below ₹ 15,600-39,100, grade pay ₹ 5,400, under Sixth Pay Commission or pay scale below than ₹ 8,000-13,500 under Fifth Pay Commission.

(i) "Member" means a person appointed to the service by absorption, promotion or direct appointment in accordance with these rules and the regulations framed there under as may be in force from time to time;

(j) "Registrar" means a person appointed as Registrar in respect of all Co-operative Milk Societies in Uttarakhand under sub-section (2) of section 3 of the Act;

(k) "Managing Director" means Managing Director of the Uttarakhand Co-operative Dairy Federation Ltd;

(l) "Manager/General Manager"means Chief Executive Officer of District Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd;

(m) "Regulations" means the regulations framed under these rules;

(n) "Service" means the Uttarakhand Co-operative Dairy Federation and Milk Unions Centralised Service created under Rule, 3 of these rules.

3. Constitution of Cadre Service :

(1) Uttarakhand Co-operative Dairy Federation and Milk Unions Centralised Service shall consist of all the managerial posts of the Federation and the Unions except the post of Managing Director and Chief General Manager of the Federation as defined under sub-rule (f) and (g) of rule 2.

(2) Appointment of Managing Director and Chief General Manager of Dairy Federation shall be made by state Government under the provisions of rules.

(3) Appointment to any of the posts falling within the preview of the service, from the enforcement of these rules, shall only be made according to the provisions laid down in these rules:

Provided that, the Government may place on deputation any officer of the Government on any managerial post of the Federation or Union, on such terms and conditions of the service, which were already laid down in his parent Department.

4. Constitution of Cadre Authority :

The Cadre Authority shall be constituted as under :

(1)	The Registrar, Milk Co-operative Societies	**Chairman,**
(2)	Chairman, Uttarakhand Co-operative Dairy Federation	**Vice Chairman,**
(3)	Officer not below the rank of Add. Secretary, nominate by Principal Secretary/ Secretary of Dairy Dev. Department.	**Member,**
(4)	Managing Director of Uttarakhand Co-operative Dairy Federation.	**Member,**
(5)	Joint Director of Dairy Development Department, nominated by Director, Dairy Development Department.	**Member,**
(6)	Two Chairman of the Unions nominated by the Director Dairy Development	**Member,**
(7)	General Manager/Add. Managing Director of Central Cadre Authority nominated by Director, Dairy Development Department.	**Member**
(8)	In charge of Establishment/Administration Department of Uttarakhand Co-operative Dairy Development	**Member/Secretary.**

5. Quorum :

The quorum for the meeting of the Cadre Authority shall be more than half of total membership and decision of the Authority, as the case may be, shall be taken by majority of the members present. In case of a tie of votes, the Chairman shall have a right to cast the deciding vote.

6. Powers and Duties of the Authority :

(1) The Authority with the prior approval of the State Government, shall make regulations relating to recruitment, training, emoluments, disciplinary control and other conditions of service of the members, such regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

(2) The Authority will determine and modify, from time to time, the scales of pay for different category of posts, with the prior approval of the State Government;

(3) Advise the Government and the Registrar on matters relating to the Service;

(4) Decide such policy matters concerning the Service of Cadre Authority Members;

(5) Determine and modify the strength of the service with the prior approval of the State Government;

(6) Exercise such other powers and perform such other duties under these rules or regulations as may be determined by the Government.

7. Powers and duties of the Member-Secretary of the Authority :

The Member-Secretary of the Authority shall--

(1) Convene meetings of the Authority and keep a record of the proceedings there of;

(2) Carry on correspondence on behalf of the Authority;

(3) Exercise such other powers and perform such other duties, as may be determined by the Authority from time to time.

8. Strength of the Service :

The strength of the Service and each category of posts there in, shall be such as may be determined by the Authority with the prior approval of the State Government, from time to time:

Provided that the Authority may leave unfilled or hold in abeyance, any vacancy without thereby entitling any person to compensation.

9. Appointing Authority :

(1) The Appointing Authority for managerial and non-managerial post of Federation shall be the Managing Director of the Federation.

(2) The Appointing Authority for non-managerial post of milk unions shall be the concerned Manager/ General Manager.

10. Powers and duties of the Appointing Authority :

(1) Appointing Authority shall have administrative and disciplinary overall control and supervision over the members of the service:

(2) Transfer the members of the Service from Federation to Milk Unions and from Milk Unions to Milk Unions or to Federation from time to time:

Provided that, the members included in service of managerial post can be transferred to any district but services of members of non-managerial post are non-transferable.

(3) Decide all policy related matters concerning the service including dearness allowances, travelling allowances, house rent and other allowances with the prior approval of the State Government, through Authority.

(4) Exercise such other powers and perform such other duties as may be determined by the State Government, Registrar or Authority from time to time.

11. Appointing Authority for Management Trainees :

Appointing Authority and the Authority exercising disciplinary control over, the members of the service and the Management Trainees and the Executives, shall be such as may be laid down in the regulations;

12. Duties of the member of Cadre Authority :

Members of the service posted to the Federation or Milk Union shall work under the administrative control of the concerned institution and shall abide by the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Bye-laws and the order issued by the Chief Executive or any other competent Authority of such institution from time to time.

13. Qualification :

The qualifications for each category of the post of the service, shall be such as, may be determined from time to time, by the authority with the prior approval of the State Government.

14. Training of the members :

Members of the service shall be deputed for training by the Appointing Authority from time to time keeping in view the requirement of the service. The members shall undergo such training as may be required from time to time.

15. Pay Scale and other Allowances :

Scale of pay and other allowances of different categories of the posts included in the service shall be such as may be prescribed by the authority from time to time with the prior approval of the State Government.

16. Payment of Pay and Wages :

(1) The salary of the member of the Service including all allowances, shall be paid by the Federation or concerned Milk Union, where the member is posted or is serving.

(2) The transfer or travelling allowance and pay for the period of joining time shall be paid by the Federation or concerned Milk Union, in which a member takes over charge upon transfer.

(3) The cost of training, travelling allowance, salary and other allowances of the members of the service for the period of the training shall be borne by the Federation or concerned Milk Union as may be decided by the Authority.

(4) The Federation, wherever necessary, may pay the cost of training, travelling allowance, salary and other allowances for the training period in respect of such members of the service, who have been recruited and whose services have been earmarked or made available to the Milk Union and such amount, subject to the approval of the authority, shall be recoverable from the respective Milk Unions.

(5) The cost of recruitment of the members of the service shall be borne by the Federation :

Provided that, the Federation may recover the proportionate cost of the recruitment from the Milk Unions, subject to the decision of the Authority.

(6) In case of any dispute with regard to the allocation of the cost of training, travelling allowance, salary and other allowances among the Federation and/or the Milk Unions, under sub-rule(4) and the allotment of the cost of the recruitment under sub-rule(5), the matter may be referred to the registrar, whose decision shall be final.

17. Routine work of Authority :

The Secretarial functions of the Authority shall be discharged by the Federation which, shall implement the directions and, or the the decisions of the Authority and, shall deal with the day-to-day work relating to the service. All expenditure thereon shall be borne by the Federation.

18. Disputes :

If any disputes arise at any time, in regard to the interpretation of these rules or their application, the matter shall be referred to the State Government; whose decision thereon shall be final.

19. Savings :

(1) So long, as the regulations referred to in sub-rule (1) of rule 6 are not framed, all or any matters referred to therein for which there is no other specific provision in the rules, shall be governed by such orders or directions as, may be issued by the Authority with the prior approval of the State Government.

(2) Any matter not covered by these rule shall be governed by such directions as may be issued by the authority with the approval of the Government.

By Order,

DR. RANBIR SINGH,

Additional Chief Secretary.

मुख्यमंत्री सचिवालय

अधिसूचना

20 जून, 2016 ई0

संख्या 73/प्र0नि0स0/मु0मं0/2016–अधिसूचना संख्या 882(1)/पी0पी0एस0/सी0एम0/2016, दिनांक 10 मार्च, 2016, जो ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS), को जारी अनापत्ति का प्रकाशन दिनांक 23 अप्रैल, 2016 के साप्ताहिक हिन्दी गजट में हुआ है एवं उक्त की 50 अतिरिक्त प्रतियों का मुद्रण दिनांक 16.05.2016 के अन्तर्गत किया गया है। उक्त अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाय।

प्रकाश चन्द्र उपाध्याय,
प्रमुख निजी सचिव,
मा0 मुख्यमंत्री।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

02 जून, 2016 ई0

संख्या 581/XXXI(4)–03(विविध)/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के लेखा संवर्ग के अन्तर्गत श्री दयाकृष्ण लोहुमी, उप सचिव (लेखा) स्थानापन्न को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव (लेखा), वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त अधिकारी को उप सचिव (लेखा) के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव।

सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग

अधिसूचना

31 मई, 2016 ई0

संख्या 598/XLIII(I)/16–20(04)/2016–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1337/XXXI(13)G/2011, दिनांक 28.10.2011 एवं 368/XLIII(I)/16–20(04)/2016, दिनांक 28.04.2016 में अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित सारणी में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम,

सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित करती है, अर्थात्–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग–

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	NFSA के राशन कार्ड का नवीनीकरण/संशोधन/निस्तारीकरण/स्थानान्तरण करना	1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	जिला पूर्ति अधिकारी	जिला अधिकारी
		2. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	जिला पूर्ति अधिकारी	जिला अधिकारी
		3. ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	10 दिन	खण्ड विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
2.	राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड का नवीनीकरण/संशोधन/निस्तारीकरण/स्थानान्तरण करना	1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में नगरीय सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	जिला पूर्ति अधिकारी	जिला अधिकारी
		2. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	जिला पूर्ति अधिकारी	जिला अधिकारी
		3. ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	10 दिन	खण्ड विकास अधिकारी	जिला अधिकारी

औद्योगिक विकास विभाग–

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	सिडकुल एकीकृत औद्योगिक आस्थान में भू–खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन–पत्रों का निस्तारण	क्षेत्रीय प्रबन्धक	30 दिवस	महाप्रबन्धक, सिडकुल	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल

1	2	3	4	5	6
2.	सिडकुल एकीकृत औद्योगिक आस्थान में जल संयोजन हेतु आवेदन–पत्रों का निस्तारण	क्षेत्रीय प्रबन्धक	15 दिवस	महाप्रबन्धक, सिडकुल	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल
3.	भवन अनुज्ञा अनुमोदन Building Permit Approval (CTE)	सहायक वास्तुकार	30 दिवस	वास्तुकार, योजनाकार	मुख्यकार्यकारी अधिकारी, सीडा
4.	समापन/अधिभोग प्रमाण–पत्र Completion/Occupancy Certificate (CTO)	सहायक वास्तुकार	30 दिवस	वास्तुकार, योजनाकार	मुख्यकार्यकारी अधिकारी, सीडा

वाणिज्य कर विभाग–

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	प्रान्तीय, केन्द्रीय अथवा सुखसाधन कर सम्बन्धी पंजीयन के प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण			सम्बन्धित संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन)	सम्बन्धित जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
	1. गैर संवेदनशील वस्तुओं हेतु	सम्बन्धित खण्ड के वाणिज्य कर अधिकारी	1. प्रार्थना–पत्र प्राप्ति के उपरान्त अभिलेखों के सत्यापन की तिथि से 01 कार्यदिवस के भीतर		
	2. संवेदनशील वस्तुओं के व्यापार हेतु	सम्बन्धित खण्ड के खण्डाधिकारी	2. जाँच पूर्ण होने एवं जमानत जमा करने के 01 कार्यदिवस के भीतर		
2.	पंजीयन संशोधन के प्रार्थना–पत्र	सम्बन्धित खण्ड के खण्डाधिकारी		सम्बन्धित संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन)	सम्बन्धित जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
	1. गैर संवेदनशील वस्तुओं हेतु		1. प्रार्थना–पत्र एवं वांछित दस्तावेज दाखिल करने के 02 कार्यदिवस के भीतर		
	2. संवेदनशील वस्तुओं के व्यापार हेतु		2. जाँच पूर्ण होने एवं जमानत जमा करने के 02 कार्यदिवस के भीतर		
3.	वैट धारा–35(1) प्रथम प्रोविजो के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण	सम्बन्धित खण्ड के खण्डाधिकारी	पूर्ण प्रार्थना–पत्र एवं माँगे गये दस्तावेज दाखिल करने के 30 कार्यदिवस के भीतर	सम्बन्धित संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन)	सम्बन्धित जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

1	2	3	4	5	6
4.	अधिक जमा धनराशि की वापसी	सम्बन्धित खण्ड के असिस्टेंट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर	Refund आदेश के 30 दिन के भीतर	सम्बन्धित संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन)	सम्बन्धित जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
5.	विक्रय योग्य फार्मों के प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण	सम्बन्धित खण्ड के असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर	अपरान्ह् 2:00 बजे तक प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर उसी कार्य दिवस में एवं शेष का अगले कार्य दिवस में 12:00 बजे तक	सम्बन्धित संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन)	सम्बन्धित जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
6.	कर निर्धारण आदेश	सम्बन्धित खण्ड के असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर	अन्तिम सुनवाई के 15 दिन के भीतर	सम्बन्धित संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन)	सम्बन्धित जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
7.	वैट धारा–30/31 के प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण	सम्बन्धित खण्ड के असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर	प्रार्थना–पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर– (1) जहाँ अतिरिक्त दस्तावेज/साक्ष्य या सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, वहाँ 15 दिन के भीतर (2) जहाँ अतिरिक्त दस्तावेज/साक्ष्य या सुनवाई की आवश्यकता है, वहां इसे दाखिल करने/सुनवाई पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर	सम्बन्धित संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन)	सम्बन्धित जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
8.	एस0टी0–45 जारी करना	सम्बन्धित खण्ड के असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर	बकाया समाप्त होने/ जमा का साक्ष्य प्रस्तुत करने के 02 कार्यदिवस के भीतर	सम्बन्धित संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन)	सम्बन्धित जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

पशुपालन विभाग–

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	पशु बीमा हेतु स्वस्थता प्रमाण–पत्र (Animal Fitness Certificate)	सम्बन्धित पशुचिकित्सालय पर पदस्थ पशुचिकित्साधिकारी	अधिकतम 07 दिन	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सम्बन्धित जनपद का मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
2	बीमित पशु के शव की शव परीक्षण जाँच रिपोर्ट (पशु शव की उपलब्धता पर) जारी करना	सम्बन्धित पशुचिकित्सालय पर पदस्थ पशुचिकित्साधिकारी	सम्बन्धित बीमा कम्पनी का क्लेम फार्म प्राप्त होने के अधिकतम 07 दिन बाद	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सम्बन्धित जनपद का मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
3.	दैवीय आपदा में पशु शव की उपलब्धता पर सक्षम को मृत पशु का शव परीक्षण/मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करना	सम्बन्धित पशुचिकित्सालय पर पदस्थ पशुचिकित्साधिकारी	अधिकतम 07 दिन	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सम्बन्धित जनपद का मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
4.	वेट्रोलीगल केस में सक्षम को पशु स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (Animal Health Certificate) जारी करना	सम्बन्धित पशुचिकित्सालय पर पदस्थ पशुचिकित्साधिकारी	अधिकतम 07 दिन	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सम्बन्धित जनपद का मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
5.	वेट्रोलीगल केस में पशु शव की उपलब्धता पर सक्षम को शव परीक्षण कर रिपोर्ट जारी करना	सम्बन्धित पशुचिकित्सालय पर पदस्थ पशुचिकित्साधिकारी	अधिकतम 07 दिन	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सम्बन्धित जनपद का मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग–

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	विभागीय वृहत्/मिनी औद्योगिकी आस्थानों में आवंटन हेतु रिक्त भू–खण्ड/शैडो के आवंटन हेतु आवेदन–पत्रों का निस्तारण	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख पूर्ण होने पर 15 दिन	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।

3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।

4. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
प्रभारी सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/336–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 11, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 7th, 2016

No. 143/UHC/XIV/19/Admin.A/2008--Smt. Geeta Chauhan, Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 17.11.2015 to 30.11.2015.

Further, She is sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 01.12.2015 to 28.05.2016.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

OFFICE OF THE PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, DEHRADUN

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

May 28, 2016

No. 128(v)--CERTIFIED that the Office of Presiding Officer, Labour Court, Dehradun was taken over after availing medical leave *w.e.f.* 02.04.2016 to 27.05.2016, in anticipation of sanctions of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of May 28, 2016.

C. P. BIJLWAN,
Presiding Officer, Labour Court,
Dehradun.

Counter signed
Sd/-(Illegible)
Registrar General,
Hon'ble High Court of Uttarakhand,
Nainital.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

13 जून, 2016 ई0

पत्रांक 1044/लाइसेन्स/निलम्बन/2016–श्री मोहन सिंह बिष्ट पुत्र श्री खीम सिंह बिष्ट, निवासी नई मण्डी, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के लाइसेन्स संख्या UK0620090001997 के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा लाइसेन्स निलम्बन/निरस्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक 905/लाइसेन्स/धारा–21/2016, दिनांक 10.05.2016 के द्वारा लाइसेन्सधारक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया। दिनांक 10.06.2016 को लाइसेन्सधारक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में क्षमा याचना के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत चालक दोषी है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, लाइसेन्सिंग ऑथारिटी, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, चालक को प्रथम बार सुधरने का अवसर देते हुए, लाइसेन्स संख्या UK0620090001997, जो दिनांक 08.09.2018 तक वैध है, को दिनांक 10.06.2016 से 03 माह हेतु निलम्बित करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
प्रशासन, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/336–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 11, 1938 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पंचायती राज विभाग

20 जून, 2016 ई0

सं0 1721/23–6(3)(2015–16)–जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों/बाजारों में व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों तथा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, सिनेमाघर, होटल/मोटल, मौल आदि का नक्शा अनुमोदन सम्बन्धी पूर्व पारित उपविधियाँ, जो शासकीय गजट में दिनांक 22 फरवरी, 2015 को प्रकाशित की गई थी, को संशोधित करते हुए संशोधित उपविधियाँ बनायी गयी हैं।

अतएव, अधिनियम की धारा 242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त संशोधित उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं। यह उपविधियाँ उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

कार्यालय जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल

(मानचित्र अनुमोदन/स्वीकृति संबंधी संशोधित उपविधियाँ)

सूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित, 1966 की धारा 239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गजट नोटिफिकेशन सं0–22, फरवरी, 2015 ई0 (फाल्गुन 03, 1935 शक सम्वत्) में प्रकाशित, जो जिला पंचायत, टिंहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों/बाजारों में व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों तथा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, सिनेमाघर, होटल/मोटल, मौल आदि का नक्शा अनुमोदन सम्बन्धी उपविधियाँ हैं, में संशोधित करते हुए निम्न उपविधियाँ पारित करती हैं। यदि किसी व्यक्ति को उक्त उपविधियों पर आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में अपनी लिखित आपत्तियों के कारणों सहित कार्यालय समय में प्रस्तुत कर दें। 30 दिन के पश्चात् प्राप्त

होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं 30 दिन के पश्चात् उपविधियाँ अधिनियम की धारा 242(2), आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की पुष्टी के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशित की जा रही है:–

उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ, जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के नोटिफाईड एरिया छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों/ग्रामीण बाजारों में व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों/दुकान, होटल/मोटल, 3 सितारा, 5 सितारा होटल, रज्जूमार्ग झूलाघर, सिनेमाघर, मौल आदि कार्यों के निर्माण के मानचित्र (नक्शा) अनुमोदन सम्बन्धी उपविधियाँ कहलायेंगी।
2. यह उपविधियाँ शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी।
3. इन उपविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों/ग्रामीण बाजारों का तात्पर्य जो जिला पंचायत टिहरी की सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सड़कों पर या उनके किनारे ऐसे दुकान समूह तथा बाजारों से है, जो उन स्थानों पर पड़ाव आबादी के रूप में विकसित हो चुके हों तथा हो रहे हैं और जो किसी अधिसूची क्षेत्र टाउन एरिया, कैन्टोमेन्ट एरिया तथा म्यूनिसिपल्टी के अन्तर्गत न हो।
4. यदि कोई व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी, व्यक्ति आदि जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक, व्यवसायिक उद्देश्य से भवन, दुकान, होटल, मोटल, पाँच सितारा, तीन सितारा होटल, झूलाघर, मौल, सिनेमाघर का निर्माण तब तक नहीं कर सकते, जब तक उस फर्म/व्यक्ति/संस्था समिति में जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल से उसका मानचित्र पास/अनुमोदन न करवा लिया है।
5. जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्र के सीमा अन्तर्गत व्यापारिक, व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित किये जाने वाले होटल/मोटल, तीन सितारा, पाँच सितारा, होटल, भवन, इमारत, रज्जूमार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र, मौल के निर्माण में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा:–
   (क) प्रत्येक भवन, दुकान, होटल/मोटल, 3 सितारा, 5 सितारा होटल, भवन, इमारत, रज्जूमार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र तथा मौल का निर्माण मुख्य सड़क के मध्य 33 फूट दूर निर्माण करना अनिवार्य होगा।
   (ख) निर्माण कार्य सड़क की नाली से बाहर करना होगा।
   (ग) दुकान होटल/मोटल, भवन, रज्जूमार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र, 3 सितारा, 5 सितारा होटल, इमारत, मौल केन्द्र का निर्माण करते समय पर्यावरण का पूर्ण ध्यान रखना अनिवार्य होगा, उपरोक्त के समीप छायादार/हवादार पेड़, भूकम्परोधी, उचित हिस्से में हरियाली/वृक्षारोपण तथा रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टींग एवं सीवेज ट्रीटमेंट के प्लॉन्ट लगाये जाने अनिवार्य होंगे।
   (घ) उत्तराखण्ड सरकार की आवासीय नीति भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011, उत्तराखण्ड तथा संसोधित 2015 के नियमों के तहत, मानचित्र स्वीकृत/अनुमोदन करवाना अनिवार्य होगा।
   (ङ) भूमि सम्बन्धी सरकारी एवं गैर सरकारी विवाद उठने पर निर्माणकार्य के निर्माणकर्ता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
   (च) मकान, भवन/होटल निर्माण पर चिमनीदार खुली हवा की ओर रखनी अनिवार्य होगा ताकि बस्ती व पड़ोसियों पर उसका कुप्रभाव न पड़े, इसके अतिरिक्त शौचालय व पेशाब घर साथ–साथ जारी शर्तों के अनुरूप रखने होंगे तथा उनकी निकासी यदि सीवर लाइन हो तो उससे जोड़ना होगा, अगर न पड़ी हो तो सोक्ता गड्ढा ऐसे सुरक्षित स्थान पर बनाया जायेगा जिससे नदी, नाले तथा अन्य को किसी हानि या प्रदूषण/गन्दगी का सामना न करना पड़े, सफाई व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान रखना अनिवार्य होगा।
   (छ) होटल/व्यवसायिक आवासीय भवन में कार/बस पार्किंग की समुचित व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।
6. नक्शा अनुमोदन करवाते समय निम्न शर्तों का पालन करना होगा:–
   (1) क्षेत्रिय पटवारी की तस्दीक रिपोर्ट/आख्या उस जगह की जिस क्षेत्र में होटल बनाया जाना है तथा जिस भूमि/खेत पर होटल का निर्माण किया जाना है।
   (2) दाखला नकल खाता खतौनी की छायाप्रति।
   (3) जमीन रजिस्ट्री की छायाप्रति।
   (4) क्षेत्रीय ग्राम सभा प्रधान की संस्तुति।
   (5) भूकम्परोधी प्रमाण–पत्र।
   (6) जल–संस्थान का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
   (7) उत्तराखण्ड पॉवर कारपो0 का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
   (8) पर्यावरण कन्ट्रोल पोल्युशन बोर्ड का प्रमाण–पत्र।
   (9) अग्निशमन प्रमाण–पत्र।

7. जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रिय कर निरीक्षक एवं कर अधिकारी की आख्या पर अभियन्ता, जिला पंचायत की संस्तुति पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, उपरोक्त उद्देश्य से किये जाने वाले निर्माण का कार्य के मानचित्र/नक्शा स्वीकृत करने के अधिकारी होंगे।

8. जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक/व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित किये जाने वाले होटल, दुकान, भवन, रज्जूमार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र के स्वामी को उपरोक्त उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल, ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

9. होटल, मनोरंजन केन्द्र, झूलाघर, दुकान आदि का निर्माण पूर्ण होने पर तथा उसके चालू होने पर जिला पंचायत द्वारा आरोपित लाइसेन्स शुल्क एवं सम्पत्ति विभवकर प्रतिवर्ष जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर शर्तों का उल्लंघन समझा जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी की होगी।

भवन मानचित्र की आवश्यक सैट बैक शर्तें

- ❖ भवन के तीन ओर न्यूनतम 0.60 मी0 की गैलरी,
- ❖ भवन के अग्रभाग में न्यूनतम 1.50 मी0 की गैलरी,
- ❖ भवन की ऊँचाई मुख्य सड़क से लगे होने की दशा में सड़क के कोने से 45° से अधिक न जाए।
- ❖ सामान्य भवन की ऊँचाई 7.50 मी0 से अधिक न हो,
- ❖ भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु निम्न दरें न्यूनतम होनी चाहिए:-

सामान्य आवासीय भवन	—	₹ 10/वर्ग मी0,
सामान्य बहुद्देशीय भवन	—	₹ 20/वर्ग मी0,
होटल एवं व्यवसायिक भवन	—	₹ 40/वर्ग मी0।

दरें कुर्सी क्षेत्रफल द्वारा आंगणित पूर्ण क्षेत्रफल पर लगाई जायेगी।

शास्ति (दण्ड)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी एक उपविधि का उल्लंघन करने पर ऐसे उल्लंघनकर्ता की न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ₹ 10,000 (दस हजार रुपये मात्र) तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें उल्लंघन जारी हो ₹ 500.00, प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर पाँच माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

पंचायती राज विभाग

20 जून, 2016 ई0

सं0 1722/23–6(7)(2015–16)–जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद की सीमा में प्रवेश शुल्क के उद्देश्य से लदान/ढुलान सम्बन्धी उपविधियाँ बनायी गयी हैं, जो आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 07–11–2015 के स्थानीय समाचार–पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित की गयी। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, टिहरी से प्राप्त आख्या के अनुसार आपत्ति एवं सुझाव हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर भी किसी व्यक्ति/फर्म, संस्था, समिति आदि से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं।

अतएव, अधिनियम की धारा 242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं। यह उपविधियाँ उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

लदान/ढुलान संबंधी उपविधियाँ

सूचना

20 जून, 2016 ई0

जिला पंचायत, टिहरी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, टिहरी ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत/टिहरी जनपद की सीमा में प्रवेश शुल्क के उद्देश्य से लदान/ढुलान संबंधी उपविधियाँ पारित करती हैं। इन उपविधियों का उद्देश्य टिहरी जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले मालवाहक वाहनों से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त उपविधियों पर आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में अपनी आपत्ति/सुझाव सहित कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। 30 दिन के पश्चात प्राप्त होने वाली आपित्त/सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। तद्पश्चात् उपविधियाँ अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की पुष्टि हेतु एवं उत्तराखण्ड सरकारी गजट में प्रकाशित की जा रही है।

उपविधियाँ

1. ये उपविधियाँ, जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल की लदान/ढुलान सीमा में प्रवेश शुल्क संबंधी उपविधियाँ, 2015 कहलायेगी।
2. ये उपविधियाँ, विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रभावी होंगी।
3. ये उपविधियाँ, टिहरी जनपद की सीमा/ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने में लागू होंगी।
4. परिभाषाएँ–

   इन उपविधियों में–

   (1) ग्रामीण क्षेत्र–ग्रामीण क्षेत्रों का अर्थ उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (एक्ट सं0–33, सन् 1961) में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होगा।

   (2) पशु बाजार, मेला या जनसाधारण के उपयोग में आने वाला सामान जहाँ से निश्चित प्रवेश शुल्क चौकी बनाकर जिला पंचायत वसूली संचालित करेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ से भी विभिन्न सामान का लदान/ढुलान होगा, वे इसमें सम्मिलित होंगे।

   (3) "वाहन" का तात्पर्य यान्त्रिक वाहनों से है, जो लदान/ढुलान में प्रयोग किये जाते हैं।

   (4) इन विधियों के अन्तर्गत जो भी वाहन जनपद टिहरी के ग्रामीण क्षेत्रों में जन उपयोग सामान का लदान/ढुलान में चलाया जा रहा हो अथवा उसके इस प्रयोजनार्थ चलाने की शंका हो, उसे तलाशी हेतु इन उपविधियों के निम्न अनुसूची–1 के अनुसार शुल्क भुगतान करने हेतु रोका जा सकता है। ऐसे वाहन के मालिक/मालिकों को निर्धारित शुल्क के साथ दण्ड की धनराशि का भुगतान करना होगा, जो वाहन निर्धारित शुल्क का भुगतान नही करेगा अथवा उपरोक्तानुसार रोकने पर निर्धारित प्रवेश शुल्क चौकी पर नहीं रूकेगा, ऐसे वाहन स्वामी के विरूद्ध अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत पुलिस बल प्रयोग कर सकती है।

टिप्पणी–"वाहन मालिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो वाहन चला रहा हो अथवा वाहन में बैठकर उसे नियन्त्रित कर रहा हो।

(5) इन उपविधियों के अन्तर्गत कोई भी वाहन तब तक प्रवेश नहीं करेगा, जब तक उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(6) नदियों के किनारे या अन्य स्थानों से पत्थर, रेत, बालू आदि के लदान/ढुलान पर जिला पंचायत, टिहरी को निर्धारित शुल्क देना होगा।

(7) निश्चित चौकियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनता की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा।

(8) जिला पंचायत, टिहरी को इन उपविधियों में निर्धारित शुल्क संशोधित करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को किसी विशिष्ट समय या अन्य के लिए छूट दे सकती है, किसानों द्वारा निजी कृषि कार्य के उपयोग के प्रयोग में लाये जा रहे वाहन इन उपविधियों के शुल्क से मुक्त होंगे।

(9) कथित शुल्क की वसूली जिला पंचायत, टिहरी द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सीधे तथा किसी निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक निलामी द्वारा ठेके पर करायी जा सकती है।

(10) प्रवेश शुल्क से होने वाली आय कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि खर्चे से घटाते हुए, शुद्ध बचत आय का 10% जन साधारण की सुविधाओं हेतु विकास कार्यों पर खर्च किया जायेगा।

टिप्पणी–निलामी द्वारा ठेके पर ठेकेदार द्वारा वसूली कराये जाने की दशा में अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को यह अधिकार होगा की वह ठेकेदार का नियमानुसार अनुबन्ध एवं पंजीकृत करायेगा, जिस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

(11) अध्यक्ष, जिला पंचायत को पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह इन उपविधियों को प्रभावी एवं बन्धनकारी करने के लिए हर दशा में इस उल्लंघन को रोकने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की सहायता से, जैसा वह उचित समझे स्वतन्त्र रूप से या उल्लंघन के लिए जो दण्ड निर्धारित है, उसका उपयोग करेंगे।

प्रवेश शुल्क की दरें निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	वाहन का नाम	शुल्क (₹ में)
1.	ट्रक, डम्पर आदि 90 क्विंतल तक	50
2.	टैम्पो, यूटीलिटी आदि 30 क्विंतल तक	40
3.	ट्राली आदि भारी वाहन (8 से अधिक टायर वाला)	100
4.	ट्रैक्टर, ट्राली पर	30

शास्ति (दण्ड)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी एक उपविधि का उल्लंघन करने पर, ऐसे उल्लंघनकर्ता की न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ₹ 1,000 (एक हजार रुपये मात्र) तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें उल्लंघन जारी हो ₹ 100.00, प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर पाँच माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल।

सोना सजवाण,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल।

सी0एस0 नपलच्याल,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/336—भाग 3—2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या—यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015—17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 11, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

I have changed my daughter name OJASWANI to OJASWANI SINGH. In future she is called the same name.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

Ajay Singh R/o H.No.
359(494), Ram Nagar,
Roorkee (Haridwar).

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्रों में त्रुटि से मेरा नाम Arpit Avlock एवं मेरी माता का नाम Neetu Avlock एवं पिता का नाम Ram Singh Avlock अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम Arpit Aulak एवं मेरी माता का नाम Neetu Aulak एवं पिता का नाम Ram Singh Aulak है। भविष्य में हमें इसी नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

अर्पित औलक (Arpit Aulak) पुत्र

श्री राम सिंह औलक (Ram Singh Aulak).

निवासी 495, डाकरा बाजार

गढ़ी कैंट, देहरादून, उत्तराखण्ड।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़)

नगरपालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़), लाइसेन्स शुल्क–1916 की धारा 298

18 मार्च, 2016 ई0

पत्रांक 9013/लाइसेन्स शुल्क/उपविधि/शासकीय प्रकाशन/2015–16–कार्यालय नगरपालिका परिषद्, धारचूला द्वारा यू0पी0 म्यूनिसपैल्टीज एक्ट, 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पालिका अपनी सीमा के अन्दर दुकानों एवं विभिन्न व्यवसायियों को नियन्त्रित करने के लिए पालिकाबोर्ड की बैठक दिनांक 05.08.2015 के प्रस्ताव सं0–03 द्वारा लाइसेन्स, अन्य शुल्क उपनियम तैयार किये गये हैं, जिनका प्रारूप नगरपालिका परिषद्, धारचूला में उपलब्ध है। नगरपालिका परिषद्, धारचूला द्वारा यू0पी0 म्यूनिसपैलटीज एक्ट, 1916 की धारा 298 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं, जो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, धारचूला, जिला पिथौरागढ़ के नाम से किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा–

क्रम संख्या	मद/व्यवसाय का नाम	संशोधित उपरान्त प्रस्तावित दर (₹ में)
1	2	3
(क)	खाद्य पदार्थ व्यवसायः	
1.	किराने की दुकान	700.00
2.	थोक किराना	1,500.00
3.	पान की दुकान	200.00
4.	रेस्टोरेन्ट (चाट, छोले, चाय, नाश्ता)	500.00
5.	भोजनालय शेटे खुमचें (चावल, दाल)	500.00
	रेस्टोरेन्ट (भोजनालय एवं मिठाई):	
6.	भोजनालय	1,000.00
7.	चाय, बिस्कुट	300.00
8.	हलवाई	600.00
9.	चाट, बताशा	300.00
10.	ड्राई फ्रूट थोक	800.00
11.	ड्राई फ्रूट फुटकर	800.00
12.	आटा चक्की/तिलहन	600.00
13.	ब्रेकरी/बिस्कुट फैक्टरी	900.00
14.	मसाले थोक विक्रेता	3,000.00
15.	मसाले फुटकर विक्रेता	600.00
16	जूस कार्नर	500.00
17.	जनरल स्टोर (बड़ा)	1,500.00
18.	जनरल स्टोर (छोटा)	700.00
19.	सब्जी की दुकान	600.00
20.	सब्जी का गोदाम	2,000.00
(ख)	मदिरा की दुकानः	
1.	शराब/बियर की दुकान	30,000.00
2.	बियर बार	15,000.00

1	2	3
(ग)	इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रॉनिक्स व्यवसायः	
1.	इलैक्ट्रिक की दुकान	1,000.00
2.	इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकान	1,000.00
3.	केबिल नेटवर्क	7,000.00
4.	जनरेटर एवं अन्य उपकरण	500.00
5.	डी0जे0	1,500.00
6.	टेन्ट हाउस	2,500.00
7.	एफ0एम0 टॉवर	10,000.00
8.	कैसेट एवं डबिंग सेन्टर	500.00
9.	वेल्डिंग मशीन	700.00
10.	मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान	500.00
11.	मोबाइल टॉवर	10,000.00
12.	मोबाइल की दुकान	800.00
13.	इंटरनेट कैफे	800.00
14.	पी0सी0ओ0	500.00
15.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1,000.00
16.	कम्प्यूटर विक्रेता	2,000.00
17.	कम्प्यूटर रिपेयरिंग सेन्टर	1,000.00
18.	घड़ी साज	200.00
19.	प्रिंटिंग प्रेस	1,000.00
20.	फोटो लैब	1,000.00
21.	फोटो ग्राफर	1,000.00
22.	फोटो स्टेट/लेमिनेशन	600.00
23.	फोटो फ्रेमिंग	300.00
24.	ग्रिल चौखट	1,500.00
25.	आरा मशीन	2,500.00
(घ)	वाहन व्यवसायः	
1.	दो पहिया वाहन शोरूम	4,000.00
2.	चार पहिया वाहन शोरूम	6,000.00
3.	वर्कशॉप (दो पहिया)	600.00
4.	वर्कशॉप (चार पहिया)	1,200.00
5.	मोटर्स पार्ट्स (दो पहिया)	600.00
6.	मोटर्स पार्ट्स (चार पहिया)	1,000.00
7.	टायर्स की दुकान	800.00
8.	गाड़ी की धुलाई/सर्विसिंग	2,000.00
9.	ट्रांसपोर्ट व्यवसाय	3,000.00
10.	पेट्रोल पम्प	12,000.00
11.	मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर	1,000.00
12.	मिट्टी के तेल की दुकान	6,000.00
13.	साइकिल स्टोर	500.00
14.	साइकिल मरम्मत की दुकान	250.00

1	2	3
(ङ)	मेडिकल व्यवसायः	
1.	चश्में की दुकान	800.00
2.	दाँतों का अस्पताल	1,200.00
3.	पैथोलॉजी सेन्टर	1,000.00
4.	दवाई की दुकान (आयुर्वेदिक)	1,000.00
5.	दवाई की दुकान (एलोपैथिक)	1,500.00
6.	दवाई की दुकान (होम्योपैथिक)	1,500.00
(च)	होटल व्यवसायः	
1.	आवासीय होटल, पाँच कक्ष तक	1,000.00
2.	आवासीय होटल, दस कक्ष तक	1,500.00
3.	आवासीय होटल दस कक्ष से अधिक	3,000.00
4.	आवासीय होटल एवं बारात घर सहित	5,000.00
5.	बैंकट हॉल, बारात घर	4,000.00
(छ)	कपड़ा व्यवसायः	
1.	कपड़ा व्यापारी, थोक	5,000.00
2.	कपड़ा व्यापारी फुटकर (₹ 50,000.00) तक	800.00
3.	कपड़ा व्यापारी फुटकर (₹ 50,000.00) से अधिक	800.00
4.	रेडीमेड, पुराने कपड़े की दुकान	800.00
5.	कपड़ा रेडीमेड की दुकान	1,500.00
6.	ऊनी/रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान	1,500.00
7.	रूई गद्दे, रजाई की दुकान	700.00
8.	रूई गद्दे, रजाई धुनाई एवं बनवाई	800.00
(ज)	बर्तन व्यवसायः	
1.	बर्तन व्यापारी	1,000.00
(झ)	मांस विक्रयः	
1.	बकरी–बकरा, मुर्गा–मुर्गी	800.00
2.	सुअर मांस की दुकान	600.00
3.	मछली की दुकान	600.00
(ञ)	पशु वध शुल्क	
1.	बकरी–बकरा प्रतिनग	50.00
2.	मुर्गा–मुर्गी, मछली व्यवसाय प्रतिदिन शुल्क	50.00
3.	सुअर प्रतिनग शुल्क	50.00
(ट)	अन्य व्यवसायः	
1.	सीमेन्ट, सरिया ईंट विक्रेता	2,000.00
2.	हार्डवेयर की दुकान	1,000.00
3.	फर्नीचर की दुकान	1,500.00
4.	फर्नीचर मेकर्स	1,200.00
5.	मार्बल/टाइल्स की दुकान	1,200.00
6.	शीशा, ग्लास सेन्टर/प्लाइवुड की दुकान	1,200.00
7.	अलमारी/बॉक्स, स्टील, आयरन वर्क्स	1,000.00
8.	ग्रिल/चौखट/स्टील वर्क्स	1,000.00
9.	शटरिंग हाउस	1,000.00
10.	मिठाई के डब्बे मेकर्स	2,000.00
11.	टेलर मास्टर (दो मशीन) तक	400.00
12.	टेलर मास्टर (दो मशीन) से अधिक	600.00

1	2	3
13.	पी0 को0 टेलर सेन्टर	500.00
14.	ड्राईक्लीनर्स	1,000.00
15.	बारबर की दुकान, दो कुर्सी तक	300.00
16.	बारबर की दुकान, दो कुर्सी से अधिक	500.00
17.	होर्डिंग (4*4) फिट तक	400.00 प्रतिवर्ग फिट
18.	होर्डिंग (4*4) फिट से अधिक	800.00 प्रतिवर्ग फिट
19.	बुक सेलर	800.00
20.	ड्राफ्ट्स मैन	800.00
21.	जूता, चप्पल (₹ 50,000.00 तक)	800.00
22.	जूता, चप्पल (₹ 50,000.00 से अधिक)	1,000.00
23.	बिसात की दुकान (₹ 20,000.00 से नीचे)	500.00
24.	बिसात की दुकान (₹ 20,000.00 से अधिक)	1,000.00
25.	श्रृंगार केन्द्र/कॉस्मेटिक	800.00
26.	ब्यूटी पार्लर	800.00
27.	स्वर्णकार	1,000.00
28.	लोहार	150.00
29.	मोची	100.00
30.	धोबी	500.00
31.	व्यायामशाला	500.00
32.	साइन बोर्ड की दुकान	600.00
33.	पेन्टर्स/आर्ट्स वर्किंग	600.00
34.	चाबी छल्ला बनाने की मशीन	500.00
35.	बीज गोदाम	500.00
37.	स्टोप शाता	500.00
37.	डलिया, सूपा	500.00
38.	बैण्ड	7,500.00
39.	पल्लेदारी	100.00
40.	फेरी	300.00
41.	घोड़े, खच्चर प्रतिनग	200.00
42.	रिक्शा	200.00
43.	हाथ ठेला	200.00
44.	कबाड़ी की दुकान	300.00
45.	कार्यालय एडवोकेट	1,200.00
46.	खेल पुरस्कार की दुकान	1,000.00
47.	विडियो गेम्स	1,000.00
48.	व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान	2,000.00
49.	अखबार, पत्रिका विक्रेता	600.00
50.	प्रापर्टी डीलर	5,000.00
51.	कोरियर सेन्टर	500.00
52.	पार्किंग शुल्क (चौपहिया वाहन) प्रतिवाहन/प्रतिनग	20.00
53.	पार्किंग शुल्क (छः पहिया वाहन) प्रतिवाहन/प्रतिनग	30.00
54.	विलियर्ड्स गेम	3,000.00

डी0 के0 तिवारी,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
धारचूला (पिथौरागढ़)।

दशरथी खैर,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
धारचूला (पिथौरागढ़)।

सूचना

मेरी पुत्री के हाईस्कूल के प्रमाण पत्र सं0 90113394 एवं अंकतालिका संख्या 80114910 में भूलवश पुत्री की नाम दिव्या शर्मा एवं पत्नी का नाम संगीता शर्मा अंकित हो गया हैं जबकि पुत्री का वास्तविक नाम कु0 दिव्या एवं पत्नी का नाम संगीता देवी है। भविष्य में मेरी पुत्री को कु0 दिव्या के नाम से जाना/पहचाना एवं पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

पारेश्वर प्रसाद, ग्राम शिवपुर,
पोस्ट कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र अजय कुमार के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम टीकाराम एवं मेरी पत्नी का नाम श्रीमति सुदेश सिंह गलत दर्ज है। जबकि हमारा वास्तविक नाम टीका सिंह तथा श्रीमति सुदेश देवी है। भविष्य में हमें वास्तविक नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

टीका सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप सिंह,
निवासी पी–। 62, यमुना कालोनी,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/336–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।